हिन्दू समाज के साथ हो रहे संस्थागत भेदभाव की समाप्ति के लिए प्रमुख हिंदुओं की मांग

देश भर से सौ प्रमुख हिंदुओं का समूह 22 सितंबर को नई दिल्ली में मिला जिसमें - आध्यात्मिक गुरु, शिक्षाविद, लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, सार्वजनिक बुद्धिजीवी और संबंधित नागरिक एकत्रित हुए और हिंदू समाज के खिलाफ व्यवस्थित और संस्थागत भेदभाव से परेशान, हिंदू समाज के हितों को प्रभावित करने वाले विभिन्न संवैधानिक, विधिक और सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

चर्चा के दौरान यह स्वीकार किया गया कि सनातन धर्म के आचारों के आधार पर भारतीय सभ्यता के उत्तराधिकारी, संरक्षक और संवाहक के रूप में भारतीय राज्य ने भारतीय सभ्यता के संरक्षण और प्रचार करने के दायित्व को सीमित कर दिया है।

भारत सरकार और जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वास्थ्य बहस कर प्रमुख हिन्दू मांगों का एक चार्टर तैयार किया है। चार्टर की प्रमुख मांगें -

1. भारतीय राज्य द्वारा हिंदुओं के साथ हो रहे विधिक और संस्थागत भेदभाव समाप्त हो, जो नागरिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस प्रभाव के लिए, समूह ने मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 26 से 30 में संशोधन के लिए लोकसभा में लंबित 2016 के डॉ. सत्यपाल सिंह के निजी सदस्य विधेयक क्रमांक 226, आगामी संसद सत्र में निम्न मुद्दों पर हिंदुओं के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तत्काल पारित किया जाना चाहिए -

राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना शैक्षणिक संस्थान चलाना।

हिन्दू मंदिरों और पूजा स्थलों को शासकीय नियंत्रण से मुक्त कर उनका प्रबंधन हिन्दू समाज को सौंपना।

बहुसंख्यक हिंदुओं पर लगाई जा रही संवैधानिक बाध्यताओं को समझते हुए 1995 में स्वर्गीय सैयद शहाबुद्दीन द्वारा लोकसभा निजी सदस्य विधेयक क्रमांक 36 प्रस्तुत किया गया था ताकि उचित संशोधन के द्वारा 'अल्पसंख्यक' शब्द को 'नागरिकों के सभी वर्गों' में बदल कर संविधान के अनुच्छेद 30 के दायरे को बढ़ाया जा सके जिससे नागरिकों के सभी समुदायों व वर्गों को सम्मिलित किया जा सके ।

2. विदेशों से भारतीय संस्थाओं के लिए बड़ी मात्रा में पैसा आता है, अधिकतम ऐसे संस्थानों से जो विदेशी संस्थाओं या उनकी एजेंसियों से संबंधों रखते हैं। यह पैसा सामान्यतः इन एजेंसियों के निहित हितों की पूर्ति करता है और अक्सर भारतीय समाज के विखंडन के लिए, विरोधों और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए उपयोग होता है। निम्नलिखित आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि केंद्र में सरकार किसी की भी हो, और मौजूदा केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाने और लागू करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, विदेशी योगदानों की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है जिससे हमारे आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है

क्र.	वर्ष	**FCRA के अंतर्गत प्राप्त राशि**	संदर्भ
1	2010-11	Rs. 10,865/- Crores	MHA L. No. II/21011/58(974)/2017-FCRA-MU dated 07-11-2017 in reply to RTI application.
2	2011-12	Rs. 11,935/- Crores	
3	2012-13	Rs. 12,614/- Crores	
4	2013-14	Rs. 14,853/- Crores	
5	2014-15	Rs. 15,297/- Crores	
6	2015-16	Rs. 17,765/- Crores	
7	2016-17	Rs. 18,065/- Crores	PIB Press Release dated 1st June 2018 of MHA

हम प्राकृतिक आपदाओं के समय विदेशी सहायता से इनकार करना उचित ही है क्यूँकि हम अर्थार्जन में आत्मसम्पन्न हैं और इससे अपने राष्ट्र का स्वाभिमान भी बढ़ता है।

चूंकि न ये ऐसे आर्थिक सहयोग निस्वार्थ होते हैं न ही भारत को इनकी आवश्यकता है, इस समूह का आग्रह है कि वर्तमान FCRA को समाप्त कर एक नए विदेशी अंशदान (प्रतिबंध) अधिनियम तत्काल रूप से लागू करे जिससे कि OCI द्वारा उनकी व्यक्तिगत सामर्थ्य (उनके भारत के साथ भावनात्मक जुड़ाव की भावना को ध्यान में रखते हुए) के अलावा केंद्र सरकार सभी प्रकार के विदेशी आर्थिक सहयोग को प्रतिबंधित किया जा सके।

3. मूल हिन्दू सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं व प्रतीकों को शासन, शासकीय एजेंसियों व अन्य के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाकर इनका संरक्षण करने के लिए समूह की केंद्र सरकार से मांग है कि तत्काल रूप से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो।

4. कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए धार्मिक उत्पीड़न जैसा नरसंहार दोबारा न हो ये सुनिश्चित करने के लिए

- जम्मू कश्मीर का तीन राज्यों में विभाजन - कश्मीर, लद्दाख और जम्मू

- कश्मीर की प्रमुख समस्या के मूल अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ संविधान आदेश 1954 (जम्मू कश्मीर पर लागू) को हटाना ताकि 35 A जैसे भेदभावपूर्ण अनुच्छेद सहित जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हुए संवैधानिक परिवर्तन समाप्त किए जा सकें।

5. 2017-18 के दौरान लगभग 14 लाख टन मांस / बीफ निर्यात के साथ, भारत ने संविधान के अनुच्छेद 48 के विपरीत दुनिया के सबसे बड़े बीफ/ मांस निर्यातक का शर्मनाक दर्जा प्राप्त किया है। इसने न केवल मांस / बीफ की कीमतों को बढ़ाया है बल्कि मांस / बीफ माफिया को भी बढ़ावा दिया है। समूह ने हर प्रकार के मांस/बीफ के निर्यात पर तत्काल रूप से पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है ताकि घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाकर दाम घटाए जा सकें और साथ ही इसके पर्यावरण प्रतिकूल प्रभावों और कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं को कम किया जा सके।

6. हज़ारों हिन्दू मंदिर और अन्य हिन्दू धार्मिक स्थान क्षत-विक्षत, विखंडित या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। साथ ही वेद पाठशालाएँ, पारंपरिक एवं लोक कलाएं, साहित्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिल्प, वास्तुकला आदि जो कि हमारी महत्त्वपूर्ण धरोहर हैं तथा हमारी प्राचीन संस्कृति और सनातन धर्म के संरक्षण व संवर्धन के आधार हैं, अपने कर्मनिष्ठों के संरक्षण और स्थाई आजीविका के अभाव में समाप्त हो रहे हैं। अतः समूह सरकार को अपने सभ्यतागत दायित्वों का स्मरण कराते हुए यह मांग करता है कि तत्काल रूप से हैंदव संस्कृति जीर्णोद्धार निगम का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) के रूप में स्थापना ₹ 10000 करोड़ के स्थापना अनुदान और इतने ही वार्षिक अनुदान के साथ हो जिसके द्वारा सभी क्षत-विक्षत, विखंडित और जीर्ण-शीर्ण मंदिरों और धार्मिक स्थानों का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन किया जा सके तथा वेद-पाठशालाओं, अनेक पारंपरिक व लोक कलाओं, नृत्य, संगीत, शिल्प, वास्तुकला, चित्रकला आदि का संरक्षण, संरक्षण, प्रचार-प्रसार किया जा सके।

7. भाजपा के 2014 घोषणापत्र के वादे को ध्यान में रखते हुए - 'प्रताड़ित हिंदुओं के लिए भारत एक गृहस्थान बनेगा और यहां शरण लेने के लिए उनका स्वागत किया जाएगा।' केंद्र सरकार ने 2016 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत किया है जो कि एक चयन समिति के पास

विचाराधीन है। इस विधेयक को अपने वर्तमान स्वरूप में इसकी संदिग्ध संवैधानिक वैधता सहित कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर प्रदेशों के कुछ लोगों द्वारा कुछ वाजिब मुद्दे रखे गए हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। अतः समूह का केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि -

- विचाराधीन नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 को वापस लिया जाए

- संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 11 A जोड़ा जाए और लागू हो।

- अतः आगामी संसद सत्र में नए नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2018 को प्रस्तुत कर नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित किया जाए।

8. वर्तमान संस्थागत भेदभाव को समाप्त कर सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान अवसर की संभावनाओं का निर्माण किया जाए। इससे आर्थिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को गति मिलेगी क्यूंकि शासन के भाषाई भेदभाव के कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या विकास और न्याय से वंचित रह जाती है।

भारत के प्रमुख नागरिकों द्वारा तैयार किए गए चार्टर में हिंदुओं के समान अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु सरकार और विधायिका की सहायता के लिए विशिष्ट मांगों और नीतिगत सुझावों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांत हमारे प्रतिष्ठित लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार वास्तव में पंथनिरपेक्ष और पंथ-तटस्थ कानून, शासन और सार्वजनिक नीति व्यवस्था और राजनैतिक विकास को सक्षम किया जा सकता है जैसा कि डॉ. अम्बेडकर और हमारे अन्य संविधान निर्माताओं का स्वप्न था।

सी. सुरेन्द्रनाथ (चेन्नई)

डॉ. हरतिहा पुरसला (नई दिल्ली)

डॉ. ईशानकुर सैकिया

डॉ.. भरत गुप्त (नई दिल्ली)

तपन घोष (कोलकत्ता)

(समूह की ओर से)